

नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन में
मधेसी समुदाय का योगदान

— राणा, राजा से गणतन्त्र तक —



जय प्रकाश गुप्ता

नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन में
मधेसी समुदाय का योगदान

राणा-राजा से गणतन्त्र तक

लेखक
जय प्रकाश गुप्ता

इस पुस्तिका प्रकाशन का उद्देश्य

इसे पढ़ने से आप को ज्ञात होगा कि नेपाल में राणाशाही से मुक्ति की आन्दोलन, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली के स्थापना का संघर्ष, राजा के द्वारा लगाये गए पंचायति तानाशाही के विरुद्ध का लड़ाई से होते हुए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना की कठिन यात्रा के दौरान-हरेक मोर्चाओं में मधेसी समुदाय ने बलिदान दिया है। मधेसी समुदाय के बलिदान के बगैर नेपाल में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं था। परन्तु हरेक परिवर्तन के बाद मधेसी समुदाय के राजनीतिक मांगों को राज्य के द्वारा तिरस्कार किया गया। साथ ही, मधेसी समुदाय के द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टियों का एक संक्षिप्त लेखाजोखा भी इस पुस्तिका में किया गया है। फिर भविष्य का रास्ता क्या है? यह बताने का कोशिस किया गया है। आशा है, इतिहास से आप वाकिफ होंगे।

नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन मे मधेसी समुदाय का योगदान

राणा-राजा से गणतन्त्र तक

नेपाल की शासन व्यवस्था को प्रजातान्त्रिकरण करने मे मधेसी समुदाय का ऐतिहासिक रूप मे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेपाल का पहला विद्रोह कहेँ या जन आन्दोलन वह १०४ बर्ष पुरानी राणा शासन विरोधी संघर्ष हि था। जिस ने नेपाल को नई दिशा दि। वि.स. २००७ साल का राणा शासन के खिलाफ मे हुआ मुल्क का इस पहला आन्दोलन का केन्द्र मधेस हि रहा था। इस मे मधेसी समुदाय का योगदान को कदापि भी अनदेखा नही किया जा सकता है। साथ हि, इस आन्दोलन मे भारत की भूमिका सिर्फ प्रेरक ही नही रहा है, अपितु भारतीय जनगण का सक्रिय योगदान भी रहा है।

जब तक भारत ब्रिटीस शासन से मुक्त नही होगा, नेपाल मे राणाओं से मुक्ति नही मिलेगी। इस तथ्य को मनन कर नेपाल के वी.पी. कोइराला, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मातृका प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह, सुवर्ण शमसेर राणा, महेन्द्र विक्रम शाह के समानान्तर मधेस के भद्रकाली मिश्र, महेन्द्र नारायण निधी, रामेस्वर प्रसाद सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंह, काशीप्रसाद श्रवास्तव लगायत कयौँ नेताओं ने अपने छात्र जीवन और संघर्ष के दौरान भारत मे रहकर नेपालीयों को संगठित करने का काम किया था। इन मे कई भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे जेल भी गये। वही जय प्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अशोक मेहता, विजयलक्ष्मी पण्डित, श्रीपद अमृत डांगे, सी. नम्बूदरी पाद, मधु दण्डवते, सुरेन्द्र मोहन, मोहन धारिया, अरुणा आसफ अली, प्रेम भासीन, सरयु प्रसाद मिश्र, सुरज नारायण सिंह, अच्युत पटवर्धन, काशी प्रसाद सिंह, फणिश्वर नाथ रेणु, रामबृक्ष वेणीपुरी जैसे भारतीय राजनीतिक-साहित्यिक हस्तीओं ने नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मे खुल कर हिस्सा लिया। इस का अपना ही एक इतिहास और लम्बा फेहरिस्त है।

वि.स. २००७ साल के क्रान्ति मे मधेसी का भूमिका

नेपाल मे राणा शासन के उत्कर्ष के दौरान वि.स. १९९७ मे चार क्रान्तिकारियों को मृत्युदण्ड दिया गया था। इस मे एक शुक्रराज शास्त्री थे। शहीद शुक्रराज शास्त्री स्वयं आर्य समाज के शिष्य थे। उन्होने भारतीय आर्य समाज से प्रेरणा लेकर हि नेपाल मे राजनीतिक सुधार का मांग किया था। भारत मे आर्य समाज आन्दोलन के प्रणेता स्वामी दयानन्द सरस्वती से प्रभावित होकर नेपाल के मधेस क्षेत्र मे राजालाल आर्य, भगवान दास, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता एवं उदयरज लाल जैसे सुधारकों ने बीरगंज, लुम्बिनी लगायत के क्षेत्रों में राणा शासन का सक्रिय विरोध किया था। भारतीय स्वाधिनता आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित होकर जनकपुर में पं. रामाकान्त भ्वा के अगुवाई मे बोध प्रसाद उपाध्याय, देवशंकर गिरी, श्रीकान्त ठाकुर, बौएलाल भ्वा, अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, कमलकान्त चौधरी, जमुना प्रसाद सिंह, बलभद्र चौधरी, रामदुलार साह, पं. रामचन्द्र भ्वा, राजेश्वर निधी, महंथ गोकुल गिरी, गंगेश्वर भ्वा तथा गुलाब नारायण भ्वा समेत के लोगो ने राणा विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाया। बाद में जब नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तब पं. रामाकान्त भ्वा इसके संस्थापक सदस्य भी बने। नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महोत्तरी के सरोज कोइराला, नरेन्द्र रेग्मी और सप्तरी के रूद्र प्रसाद गिरी, विराटनगर के दयाशंकर गुप्ता, नेपालगंज के योगेश्वर मिश्र आदि लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नेपाल का राणा विरोधी आन्दोलन मे सप्तरी जिले का हनुमाननगर प्रकरण को भुलाया नही जा सकता है। सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन मे गिरफ्तारी से बचकर नेपाली भूमि से आन्दोलन का संचालन करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय नेतागण जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन,

काशी प्रसाद सिंह तथा दो तीन और लोग सप्तरी जिला कोइलाडी गांव मे आए थे । ब्रिटीस अधिनस्थ हिन्दुस्तान की पुलिस तथा गुप्तचर उनके पीछे लगी थी । बाद मे ब्रिटीस सरकार के दबाव मे इन्हे गिरफ्तार कर हनुमाननगर के जेल मे रखा गया । तब सप्तरी के मधेसियों ने हनुमाननगर जेल पर शस्त्र आक्रमण कर सभी क्रान्तिकारी भारतीय नेताओं को छुड़ाया था । इस पुरी अभियान मे नेपाल के जयमंगल प्रसाद सिंह, चतुरानन सिंह, तारिणी प्रसाद सिंह, रामेश्वर सिंह, दल बहादुर आदि का मुख्य मुख्य भूमिका रहा था । उस घटना में नेपाली गारद का एक संतरी मारा गया था । इसका असर यह हुआ कि नेपाल की पुलिस का नेपाली क्रान्तिकारियों पर और ज्यादा आतंक बढ गया । गिरफ्तारी और दमन शुरू हुआ । इस प्रकरण मे २२ लोगो को गिरफ्तार कर काठमाण्डू चलान किया गया और १२७ व्यक्ति को राजविराज जेल में रखा गया । काठमाण्डू जानेवाले मे सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, चतुरानन सिंह, जयमंगल सिंह, मीन बहादुर सिंह, तारिणी प्रसाद सिंह, रामजी सिंह, शत्रुधन प्रसाद सिंह, विन्देश्वरी प्रसाद सिंह, अखण्ड नारायण सिंह, रामदत्त कोइराला, जे.सी. समर बहादुर प्रजापत, कामानन्द मिश्र, नेबू मण्डल, अब्दुल मियां, कृष्णवीर कामी, किसन दुसाध, विष्णुध्वज श्रेष्ठ, बैजनाथ उपाध्याय, आनन्दी प्रसाद सिंह, चन्द्र नारायण सिंह, देवनारायण सिंह, सेवक माझी थे । इन्होने कठोर कारबास की सजा भुक्तान किया । अब्दुल मियां और कृष्णवीर कामी तो जेल मे ही शदीह हुए ।

नेपाल में राणा शासन विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन में विराटनगर का आन्दोलन और सत्याग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । वि.स. २००५ साल मे विराटनगर जूट मिल और मोरड काँटन मिल से नेपाल के इतिहास में पहला मजदूर हड़ताल हुए । इस हड़ताल का नेतृत्व वी.पी. कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, नैनालाल बोहरा, दिनेश दुबे, मुन्नीलाल चौधरी, इन्द्रप्रताप सेन, बंशीधर दास, रघुनाथ गुप्ता आदि ने किया था । इस आन्दोलन में पंचानन्द दास, पुरन सिंह का भी काफी योगदान रहा । विराटनगर मजदूर आन्दोलन में ६ मजदूर शहीद हुए ।

वि.स. २००३ साल मे कलकत्ता मे नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ । इस का स्थापना सभा मे नेपालगंज के सुविख्यात नेता जागेस्वर मिश्र ने भाग लिया था । इस के बाद वि.स. २००४ साल मे विराटनगर का सीमावर्ती जोगवनी मे नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ । जिसमें मातृका प्रसाद कोइराला को कार्यवाहक सभापति बनाया गया । इस सम्मेलन में महेन्द्र नारायण निधी और पं. रमाकान्त भा लगायत कई मधेसी क्रान्तिकारी सम्मिलित थे । यहीं से देश व्यापी सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा की गयी । मधेस के आन्दोलनकारीयों ने विराटनगर, वीरगंज, लुम्बिनी आदि स्थानों पर सत्याग्रह आन्दोलन को तीव्र किया । लुम्बिनी क्षेत्र के सत्याग्रह में भोलानाथ शर्मा, दयाशंकर मुन्शी, काशीनाथ गौतम आदि को बन्दी बनाकर पहाड के जेल में डाल दिया गया । नेपालगंज क्षेत्र मे कुवँर कल्लु सिंह ने आन्दोलन को बढ़ाया । सत्याग्रह आन्दोलन के क्रम में जनकपुर धाम में सरयुग चौधरी, सुन्दर भा शास्त्री, आशिष भगत, मिश्रीलाल गुप्ता, लक्ष्मण साह, मेध प्र. उपाध्याय, भीष्मजंग केसी, दिगम्बर भा, बच्चा भा, बल बहादुर मगर, निर्गुण यादव आदि लोग गिरफ्तार हुए । कुछ महीने बाद सरोज कोइराला, महेन्द्र नारायण निधी, नकुल बहादुर सिंह तथा पण्डित रमाकान्त भा और वीरगंज में नथुनी शाह, ठाकुर कुमार आदि गिरफ्तार हुए । वीरगंज में ही सचेन्द्र नारायण चौधरी और हंसराज ठाकुर सक्रिय थें । धनुषा-महोत्तरी क्षेत्र मे भद्रकाली मिश्र और रामनारायण मिश्र ने लोकसेवा संघ स्थापना की । इस अभियान के दौरान ज्ञानी शंकर गिरी, महावीर शर्मा, श्याम सुन्दर शर्मा, आनन्दी लाल भुनभुनवाला, राधा प्रसाद चौधरी आदि पकडे गए । वि.स. २००६ साल मे जलेश्वर जेल तोडकर निर्गुण यादव फरार हो कलकत्ता पहुंचे । सिरहा के कपिलेश्वर यादव २००४ साल मे ही नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस के सदस्य हुए थे । वे बैरगनिया सम्मेलन के भी एक सक्रिय सहभागी थे । वि.स. २००७ साल के जनक्रान्ति मे सिरहा जिला मे देवनाथ दास यादव, राजदेव गोइत, कुलानन्द भा, बलदेव दास यादव, मित्रलाल गिरी जैसे व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था । इस क्रम मे वर्दीया मे राधाकृष्ण थारु, दांग मे परशु नारायण चौधरी और कपिलवस्तु मे शिव प्रताप शाह आदि ने ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया ।

राणा शासन का अन्त्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी मधेस मे ही लिया गया । वि.स. २००७ साल आश्विन १० गते रौतहट जिला का सीमा पार के बैरगनिया मे नेपाली कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस

अधिवेशन में राणा शासन के खिलाफ में सशस्त्र क्रान्ति करने का निर्णय लिया गया। यही से राणा शासन विरोधी आन्दोलन में उफान आया। सब से पहले बीरगंज में फिर बिराटनगर में और सर्वत्र मुक्ति सेना ने राणा फौज पर शसस्त्र आक्रमण किया। अनेक मोर्चा पर मधेसी लोग भी साथ साथ लड़ें। शसस्त्र आन्दोलन के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में काशी प्रसाद श्रीवास्तव, डा. के. आई. सिंह, खड्ग बहादुर गुरूड, गोविन्द प्रसाद शर्मा, लक्ष्मी नारायण अधिकारी, बासदेव त्रिपाठी, प्रेमचन्द्र अग्रवाल, कृष्णदास भक्त, उदयरज लाल, रामवरन शर्मा, दशरथ प्रसाद एवं भाग्यनाथ दुबे का योगदान उल्लेखनीय है। मधेसी महिलाओं का भी एक विद्रोही सेना कौलपति मिश्र तथा युमना देवी के नेतृत्व में गठित हुई थी। क्रान्ति सम्बन्धी तथ्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए काशी प्रसाद श्रीवास्तव ने नई दिल्ली से “फ्रि नेपाल” नामक अंग्रेजी पत्र के प्रकाशन की व्यवस्था की। कुँवर कल्लू सिंह ने नेपाल में आन्दोलन छेड़ा। बारा तथा रौतहट जिलों के विद्रोहियों ने भागवत यादव तथा शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कलैया एवं गौर बजार पर आधिपत्य जमाया। विद्रोहियों के नेता रति सन्यासी और नन्दू साह के साथ बीसों विद्रोही गौर बजार में राणा सैनिकों की गोलियों के शिकार बने। इसी क्रान्ति के दौरान जनकपुरधाम में राणा की फौज से लड़ते हुए मुक्ति सेना के प्रेम सिंह और कंचन मुखिया शहीद हुए। बीरगंज के मोर्चा पर बीसों शहीद हुए। पश्चिम के शसस्त्र कारवाही में राणा फौज ने गोलिया बरसाई जिसमें मदन पाण्डेय, रामानुज पाण्डेय, कृपा दयाल सिंह तथा कृष्णदास भक्त जैसे लोग शहीद हो गये।

वि.स. २००७ साल के सशस्त्र क्रान्ति में कई भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। विहार फारबिसगंज निकट के निवासी फणीश्वर नाथ रेणु एक विख्यात रचानाकार हैं। कोलकाता निवासी भोला चटर्जी एक सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं। ये दोनों २००७ साल के क्रान्ति में सशस्त्र क्रान्तिकारी योद्धा के रूप में लड़े थे। इस युद्ध में जोगवनी के भावुक गुरूजी, फेकन चौधरी, विहार विरपुर के डी.पी. शर्मा, पटना के देवेन्द्र प्रसाद सिंह, लखनलाल कपूर, पूर्णिया जिला सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव नरसिंह नारायण सिंह, कमरेड भोला नाथ मण्डल, विहार फारबिसगंज के सरयु मिश्र को भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय नागरिक डाक्टर कुलदीप झा कुशाहा के मोर्चा पर शहीद हुए।

मधेसी किसानों का बलिदान

शसस्त्र आन्दोलन के दौरान ही वि.स. २००६, श्रावण के ६ गते को नेपाल-भारत के बीच शान्ति एवं मैत्री संधि हुई। वि.स. २००७ साल फागुण ७ गते निरंकुश राणा शासन का अन्त हुआ। किन्तु मधेसी जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया। देश की आधी आबादी होने के बावजूद पहला अन्तरिम सरकार में वह भी भारत के दबाव पर भद्रकाली मिश्र को मंत्री बनाया गया। राणा शासन के समाप्ति के बाद नेपाल का मधेस में नई जागरण का प्रभाव पड़ा। मधेस के किसानों ने अपनी बेहतर जीवन के लिए कई जिलों में किसान आन्दोलन किया। इन आन्दोलनों को सैनिक बल पर कुचला गया। कई मधेसी किसान शहीद हुए। वि.स. २००७ साल में ही रौतहट में किसान आन्दोलन के नेता शिव प्रसाद सहित अनेक किसानों की हत्या की गयी। वि.स. २००९ साल में रौतहट के अशर्फी शाह, २०११ साल में सिरहा के बहादुर सदा, बारा के मुगालाल महतो और २०१४ साल में सप्तरी के अधोरी यादव शहीद हुए। वि.स. २००८ साल, वैशाख २० गते वर्दिया में किसानों ने जमीन्दारों के विरुद्ध संघर्ष किया। जिसमें सरकार की गोलियों ने कई किसानों को मौत के घाट उतार दिया।

पहला जन निर्वाचित सरकार और मधेसी समुदाय

राणा शासन के समाप्ति के वर्षों के बाद वि.स. २०१५ साल फागुण माह में प्रथम आम निर्वाचन हुआ। इस प्रथम आम निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर वी. पी. कोइराला के नेतृत्व में सरकार गठित हुई। नेपाल के इतिहास में पहली बार जन निर्वाचित सरकार में कुछ मधेसियों को भी सहभागी बनाया गया। जिसमें रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, सूर्यनानाथ दास यादव और शिव प्रताप शाह मंत्रीमण्डल में पहुँचे। इस सरकार के कार्य काल में नेपाली भाषा के साथ हिन्दी को द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिया गया। संसद के दोनों सदनों में तराई के प्रतिनिधियों को हिन्दी

भाषा में अपने विचार रखने का मौका मिला। रेडियो नेपाल से हिन्दी में प्रसारण करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। श्री उमाकान्त दास के सम्पादकत्व तथा प्रकाशकत्व में हिन्दी दैनिक नेपाली समाचार पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ। परन्तु मधेसी के प्रति नीतिगत रूप से विद्यमान रहे भेदभाव और असमानता समाप्त करने के दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया।

राजा महेन्द्र का सैनिक तानाशाही : मधेसीयों ने लड़ी लड़ाई

वि.स. २०१७ साल पुस १ गते के दिन राजा महेन्द्र ने सैनिक कू किया। इस के बाद निर्वाचित संसद को भंग कर दिया। नेपाल के सभी राजनीतिक दलों को अवैध घोषित करके उनकी सम्पूर्ण गतिविधिया समाप्त कर दी गई। प्रजातन्त्र के हत्या के प्रतिरोध में सम्पूर्ण मधेस में विरोध प्रदर्शन हुआ। वि.पी. कोइराला गिरफ्तार किये गए। सुवर्ण शमसेर भारत में थे। सुवर्ण शमसेर नेपाली कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बने। वि.स. २०१७ साल माघ १२-१४ गते तक पटना में नेपाली कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने देशव्यापी शसस्त्र आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में तत्कालिन नेपाल प्रजा परिषद (मिश्र) के अध्यक्ष भद्रकाली मिश्र, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी के महासचिव काशीप्रसाद श्रीवास्तव और नेपाल तराई कांग्रेस के महामंत्री रामजनम तिवारी ने भाग लिया था। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ शसस्त्र संघर्ष में वि.स. २०१९ में सुखदेव सिंह को राजविराज के सैनिक बैरक में गोली का शिकार बनाया गया। राजा विरोधी कार्यों का व्यवस्थापन करने के आरोप में रक्सौल में कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल पर प्रहार किया गया। वि.स. २०१८ साल, माघ ९ गते को छात्र नेता दुर्गानन्द भ्ना ने जनकपुर भ्रमण के दौरान राजा महेन्द्र पर घातक बम फेंका। विस्फोट से राजा की कार क्षतिग्रस्त हुई किन्तु राजा बच गये। कुछ महिनों के बाद दुर्गानन्द भ्ना को मृत्युदण्ड दिया गया। इसी मुकदमे में अरविन्द कुमार ठाकुर को आजीवन कारवास की सजा हुई। वीरगंज में बम विस्फोट किया गया। इस काण्ड में दल सिंह मगर और दुःखा सहनी को १६ वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। योगी साह को १० वर्ष कैद भुगना पड़ा। कपलेश्वर भ्ना, कपलेश्वर लाल को आजीवन कैद की सजा दिया गया। पंचायती व्यवस्था के दौरान कई नेताओं को भारतीय सीमा क्षेत्र में मार दिया गया। वि.स. २०१८ साल के संघर्ष में बारा में भागवत यादव और रूपन्देही में सत्यनारायण मल्लिक ने अतुलनीय भूमिका निर्वाह किया।

मधेसी समुदाय ने राजा महेन्द्र के द्वारा लागू किया गया सर्व सत्तावादी पंचायती व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। राजा के दृष्टिकोण में भी मधेसीयों के प्रति घोर अविश्वास उत्पन्न हुआ। इस के परिणाम स्वरूप पंचायती व्यवस्था के दौरान कई मधेस विरोधी नीति और निर्णय लिया गया। मधेस के दक्षिणी क्षेत्रों में पहाड़ और भारत के कई जगहों से पहाड़ी समुदाय के लोगों को लाकर बसाया गया। नेपाल में मधेसी समुदाय को लक्षित कर वि.स. २०२० साल में नागरिकता कानून लागू किया गया। इस कानून के लागू होने से दशों लाख मधेसियों को नागरिकता देने से इन्कार कर दिया गया। परिमाण स्वरूप मधेस के कई भाग में नेपाल नागरिकता कानून का प्रति को जलाया गया। मधेस मुक्ति मोर्चा के नेता सत्यदेव मणि त्रिपाठी एवं विश्वनाथ तिवारी के नेतृत्व में रूपन्देही में विरोध प्रदर्शन हुए। इस आन्दोलन के दौरान लक्ष्मी नारायण भ्ना, श्यामलाल मिश्र, देवकी नन्दन गुप्ता, परमहंस यादव आदि को दण्डित किया गया। पंचायती व्यवस्था के दौरान सर्व प्रथम मधेस में भूमिसुधार और इस के तहत अनिवार्य बचत कार्यक्रम लागू किया गया था। भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही मधेस में रहे जमिन्दारों का जमीन हड़प कर पहाड़ी समुदाय के लोगों को बसाना था। पंचायती सरकार की नीति के चलते मधेसियों में आक्रोश फैलता गया। अनेक जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वि.स. २०२३ साल में नवलपरासी जिला के परासी में हजारों किसानों ने सरकारी अधिकारियों के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की गोली से ९ किसान मारे गये। आन्दोलन को कुचल दिया गया। किसानों का शोषण करने के लिए वि.स. २०२१ साल में ही अनिवार्य बचत योजना शुरू की गई। वि.स. २०२६ साल में कपिलवस्तु जिला के तौलिहवा में किसानों ने इस सरकारी नीति का विरोध में कड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस का हिंसक दमन चक्र चला, जिसमें २३ किसानों की मृत्यु हुई। इन सभी घटनाओं से मधेसी समुदाय में एक

विश्वास बना कि, सर्व प्रथम अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्था का खात्मा हो फिर मधेसीयों की अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

नेपाल का राजनीतिक इतिहास में नेपाली कांग्रेस का उल्लेखनीय भूमिका रहा है। राणा शासन के खिलाफ का आन्दोलन कांग्रेस के ही नेतृत्व में हुई थी। उस वक्त राणा शासन से मुक्ति चाहने वालों के लिए नेपाली कांग्रेस ही एक मात्र पार्टी थी। वि.स. २००७ साल से पहले मधेस के बड़े जमीन्दार भी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से प्रभावित होकर नेपाल में राणा शासन से मुक्ति चाहते थे। पढ़े लिखे नौजवान में तो यह चाहना ही थी। मधेसी समुदाय के लोगों का नेपाली कांग्रेस से पुराना और गहरा ताल्लुकात का यही मुख्य कारण रहा है। सम्बन्ध और सरोकार का इन्हीं तथ्यों के आलोक में मधेसी लोग पुस्ता दर पुस्ता नेपाली कांग्रेस में लगते गए। नेपाली कांग्रेस द्वारा संचालित २००७ साल का, २०१८ साल का, २०२९-३० साल का शसस्त्र आन्दोलनों में और २००७ साल से लेकर २०६२-६३ साल तक का सभी शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनों में मधेसी समुदाय से आये हुए युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में हुए सशस्त्र संघर्ष के क्रम में वि.स. २०१८ साल में ही रौतहट के बंकुल में रामविलास राय यादव, पर्सा में सुलेमान मियां, बारा के भोला शाह कानू और सप्तरी सूवर्णपट्टी के कैलु चौधरी थारू शहीद हुए। इसी साल रौतहट के शेष पांचू और गणेश राउत कुर्मी की हत्या करवायी गयी। वि.स. २०२० साल में सेन्ट्रल जेल में बन्दी रहे भरत गोपाल भ्वा को मार दिया गया, २०१९ साल में बारा के हरि सहनी मल्लाह, परीक्षण ठाकुर लोहार, मोहन शाह कानू, रामचन्द्र महतो कोइरी और रौतहट के सुखारी हजरा पासवान शहीद हुए। इसी दौरान वि.स. २०१९ साल आश्विन २४ गते धनुषा के सम्सी में शिवचन्द्र मिश्र शहीद हुए। रौतहट के जलील मियां को वि.स. २०१९ साल में गिरफ्तार कर २०२० साल में उन्हें बीरगंज जेल में मारा गया।

वि.स. २०१८ के बाद पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध का आन्दोलन में बड़ी तेजी आई। पूरी देश के साथ मधेस में हजारों लोग गिरफ्तार किये गए। सयौं के संख्या में लोग भारत प्रवास में गए। नेपाली कांग्रेस के साथ तथा अन्य प्रतिबन्धित संगठनों से संलग्नता के आरोप में मधेसी समुदाय के कई व्यक्ति वर्षों तक जेल में रहें। भ्वापा के तुरसा हेमरम सतार, गुलुम राजवंशी, डिगेन्द्र राजवंशी, मंगल मर्दी सतार, चेर्खा टुडु सतार, छेना सतार, छोटका सतार, गोपाल सतार, घुमा सतार, देनावास्के सतार, नारायण सतार, मोरंग के गौराचन्द्र बेरा बंगाली, हदराज बोहरा, शिवेस्वर मण्डल, उमेश गिरी, डा. चन्द्रनारायण मल्लिक, युगल किशोर राय, किशोर सिंह खवास, ज्ञानलाल सिंह खवास, यदुनन्दन गच्छदार, विजय सिंह खवास, चेत नारायण खवास, हरिनारायण चौधरी, जोगीलाल यादव, सुनसरी के सुकदेव मेहता, नकछेदी महतो, विजय गच्छदार, सुलेमान मियां, लक्ष्मण मेहता, खुशीलाल चौधरी, गुलेस्वर खवास, लक्ष्मण साह हलुवाई जैसे लोग लगातार वर्षों तक जेल में रहे। सप्तरी जिला के इन्द्रदेव सिंह, रामराजा प्रसाद सिंह, गंगाधर भ्वा, चन्द्र शेखर भ्वा आजाद, मधुकान्त सिंह, खुशीलाल मण्डल, अनिस अंसारी, भोला ठाकुर, डा. दिवाकर दत्त, गणपति मण्डल, राजेस्वर प्रसाद साह, जय प्रकाश आनन्द, मधुरी मुसहर, जगन्नाथ दास, विश्वनाथ गुप्ता, जय सुन्दर यादव, खुशीलाल सदा मुसहर, भ्मेली सदा मुसहर, धनेस्वर सदा मुसहर आदि वर्षों जेल में रहें। श्रीकांत मंडल, कमल सहनी, गंगाराम साह, विश्वेस्वर साह, लाल बहादुर राय, बीरेन्द्र सिंह ननकू, रघुनन्दन गुप्ता, कुसुमलाल कामी लगायत के व्यक्ति कयौं वर्ष जेल तथा भारत प्रवास में रहे। राजा के आदेश से सयकड़ों लोगों का सम्पत्ति जप्त किया गया। मधेसी समुदाय से धनुषा के ज्ञानीशंकर गिरी, निर्गुण यादव, रामचन्द्र अधिकारी, मौना धामी, राजदेव यादव, महन्थ यादव, बहरु यादव, कपिलेस्वर भ्वा, महोत्तरी के रामचन्द्र सिंह, जोगेन्द्र सिंह, महावीर सिंह, भद्रकाली मिश्र, चिन्ताहरण सिंह, सियावरण, सप्तरी के जुगेश्वर गुप्ता, रामेस्वर प्रसाद सिंह, केदार प्रसाद सिंह, देवनाथ दास यादव, रामएकबाल, सुनसरी के रामेस्वर यादव, मोरंग के सुलेमान मियां, भ्वापा के तुरसा हेमरम सतार, रौतहट के रामस्वरुप यादव, बृषनन्द वर्मा, शेख अब्दूल मजीद, शेख इद्रिस, शेख फरमान, सर्लाही के रामचन्द्र राय, पर्सा के केदार गिरी, रामजनम तिवारी, बारा के भागवत प्रसाद यादव, रुपन्देही के काशीप्रसाद श्रीवास्तव जैसे लोगों का सम्पूर्ण सम्पत्ति को सरकार ने जप्त किया। सिरहा के सूर्यनाथ दास यादव, नथुनी सिंह दनुवार, प्रमोद ठाकुर,

बलदेव दास यादव जेल में रहें। धनुषा के महेन्द्र नारायण निधी, ज्ञानीशंकर गिरी, विमलेन्द्र निधी, दिगम्बर राय, स्मृति नारायण चौधरी, महादेव साह, रामचन्द्र मण्डल, राम इकवाल मण्डल, जगदीशचन्द्र गुप्ता, बृषेशचन्द्र लाल, महेशशंकर गिरी, रविन्द्र ठाकुर, राम नारायण मण्डल, चन्द्रेस्वर मण्डल केवट, चन्द्रदेव ठाकुर, देवली मण्डल धानुक, राजेश्वर ठाकुर बडही, महोत्तरी के महन्थ ठाकुर, महेस्वर प्रसाद सिंह, महेन्द्र कुमार मिश्र, सुरेश आजाद, रामचन्द्र तिवारी, सर्लाही के राम जीवन सिंह भूमिहार, भीखारी मंसुर, रामचन्द्र राय यादव, विजय प्रताप सिंह, रौतहट के शेख इद्रिश, शेख फजले हक, चन्द्रशेखर प्रसाद ठाकुर, भरत प्रसाद यादव, बिन्दा सहनी, परदेशी राउत कुर्मी, भगल साह कलवार, मगनी साह तेली, सूर्यराय यादव, बारा के युगल किशोर चौधरी, भोला मियां ठकुराई, भीखारी पण्डित, राम बिलास गुप्ता कलवार, रामजनम बडही, श्याम किशोर कुसवाहा, पर्सा के दुःखा सहनी, आत्माराम ओझा, डा. जमुना प्रसाद, रामजनम तिवारी, सुरेन्द्र चौधरी, मगनी साह, गोपाल राउत कुर्मी, विशनाथ महतो कोइरी, लोचन हजरा दुसाध, चितवन के बलराम बंगाली, नवलपरासी के नरबहादुर चौधरी, रुपन्देही के लाल चौधरी, टेनइ चमार, पल्टन थारु, काकुर नाउँ, बिक्रम थारु, दांग के अशोक कुमार चौधरी, बांके के हिरा सिंह पंजाबी जैसे मधेसी समुदाय के लोग कयौं वर्ष तक कठोर कारवास का सजाय भोगा। यह तो एक अपूर्ण तथ्यांक है, जिस का उल्लेख स्मरण के आधार पर यहां किया गया है। पंचायती व्यवस्था के दौरान जेल जाने वाले मधेसीयों का संख्या इस से कई गुणा ज्यादा है। इस पर खोज करना होगा।

मधेसी युवाओं का अतुलनीय बलिदान

पंचायती व्यवस्था के खिलाफ में हुआ सभी छात्र आन्दोलनों में मधेसी समुदाय के छात्रों को योगदान अतुलनीय रहा है। वि.स. २०२८ साल में पंचायती सरकार के द्वारा लागू की गई नया शिक्षा नीति के विरोध में देशव्यापी आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलन का सर्वाधिक प्रभाव मधेस के जिलों में रहा। धनुषा जिला का यदुकहा में छात्र प्रदर्शन पर पुलिस ने निर्ममता पूर्वक गोली चलाई। वि.स. २०२९ साल, आश्विन १ गते पुलिस का गोली से १७ वर्षीय छात्र कामेश्वर मंडल का देहान्त हुआ। गोली प्रहार से ही सातवें कक्षा का दूसरा छात्र कन्नी गोइत और १५ वर्षीय कुशेश्वर मंडल भी उसी रोज शहीद हुए। इस गोली काण्ड में घायल ग्रामीण सवकत कवारी और नक्काराज नामक व्यक्ति का दूसरे रोज मृत्यु हुई। एक और लोग मारे गये। वि.स. २०३६ साल का विद्यार्थी आन्दोलन में जेष्ठ ६ गते महोत्तरी के करैया में छात्र नेता मिथिलेश दुबे और उसी रोज सर्लाही के हरिपूर्वा में ललन राय, अमृत शाह, शेख मियां, बुधन अंसारी, सूरत ठाकुर, इसरायल शेख, रामबाबू चौधरी तथा लालबन्दी में इगल बहादुर, जर्घामगर ने शहादत प्राप्त की। इसी प्रकार ०३६ साल का छात्र आन्दोलन के दौरान ही ०३६ बैशाख १० गते के रोज सिरहा के माडैर में जगदीश खत्वे, तसलिम मिया और रामेश्वर मंडल एक साथ ही पुलिस के गोली प्रहार से शहीद हुए। सिरहा के कर्जनहा में २०३६ साल के जेठ ३ गते विद्यार्थियों का प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाया। जिसमें छात्र नेता राम परीक्षण गडेरी शहीद हुए। दाड में रतन बहादुर चौधरी शहीद हुए। इसी साल के आन्दोलन में धनुषा में मुगालाल महतो, मोहन राम महतो मारे गए।

वि.स. २०४२ साल में नेपाली कांग्रेस ने सत्याग्रह संचालन किया था। इसी दौरान रामराजा प्रसाद सिंह का जनवादी मोर्चा के द्वारा गणतन्त्र स्थापना के मांग के साथ राजधानी काठमाण्डू में कई जगह बम विस्फोट करवाया गया। इस बम काण्ड के अनुसन्धान के नाम पर गिरफ्तार हुए डा. लक्ष्मी नारायण भा, सत्यनारायण साह, ईश्वर लामा, पद्म लामा, साकेत चन्द्र मिश्र, हरि भुजेल और दिलीप चौधरी को वेपत्ता कर उनकी हत्या कर दी गयी। रामराजा प्रसाद सिंह के निर्देशन और नेतृत्व में हुआ इस बम काण्ड के अभियोग में जनवादी मोर्चा के कई विद्रोहीयों पर पंचायती सरकार ने गंभीर मुकदमा चलाया। इस में रामराजा प्रसाद सिंह को मृत्यु दण्ड और उन का सम्पति का कुर्की, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, प्रेम बहादुर विश्वकर्मा, विश्वेश्वर मण्डल, पवन कुमार साह को मृत्यु दण्ड का फैसला सुनाया गया। खेमराज मायालु, विश्वनाथ चौधरी, शिव कुमार विश्वकर्मा, राजेन्द्र भा, मजिद मियां, किशोरी साह, हरिदेव चौधरी, ईश्वरी ठाकुर, इन्द्र बहादुर विश्वकर्मा और दाताराम बजगाई को २० वर्ष तक का जेल सजाय दिया गया था। इस महान क्रान्तिकारी कदम में भी अधिकांश मधेसी लोगों का ही सहभागिता रहा था।

वि.स. २०४५ से पंचायती व्यवस्था के खिलाफ शासक जन आन्दोलन शुरू हुई। इसी साल पुस के २६ गते जनकपुर धाम में सत्यनारायण पाठक शहीद हुए। शिक्षक महादेव भा की मृत्यु हुई। वि.स. २०४६ साल फाल्गुन ९ गते धनुषा के यदुकहा में हुआ भीषण गोलीकाण्ड में जानकी देवी यादव, भुवनेश्वरी देवी यादव, सोनावती देवी यादव, उदय शंकर मण्डल और रामनारायण यादव शहीद हुए। देश की इतिहास में महिला शहीद होने का यह पहला घटना था। इस के बाद चैत्र २४ गते राम विलास ठाकुर शहीद हुए। अन्य कई वारदातों में सप्तरी के बिहारी चौधरी और सुरेश कुमार गुप्ता, रौतहट के मुकुट ओझा, बारा के वैद्यनाथ गुप्ता और दीपक गुप्ता (जिनकी रक्सौल में हत्या की गयी) शहीद हुए।

नेपाल के कम्युनिष्ट आन्दोलन में मधेसी योगदान

पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध का संघर्ष में नेपाल के कम्युनिष्ट आन्दोलन का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछेक अपवाद बाहेक अनेक समूहों में विभक्त कम्युनिष्ट नेता और कार्यकर्ताओं ने लम्बा संघर्ष किया है। नेपाल के कम्युनिष्ट आन्दोलन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के तरफ से अयोध्या प्रसाद सिंह को नेपाल भेजा गया था। भारतीय नागरिक होने बावजूद वे वि.स. २००८ साल तक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी के पोलिटब्यूरो के सदस्य थे। इस दौरान के मधेसी नेताओं में सप्तरी के सैयद कमर शाह जो वि.स. २०१० के पहला महाधिवेशन से नेकपा के केन्द्रीय सदस्य चुने गए थे। रौतहट के शेख फरमान जो वि.स. २०१५ साल के आम निर्वाचन में कम्युनिष्ट पार्टी के तरफ से विजयी होने वाले कूल ४ व्यक्तियों में एक थे। इन चार लोगों में दो मधेस से विजयी हुए थे। सिरहा के भोगेन्द्र ठाकुर एक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता थे। वे वि.स. २०२८ साले ही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी के केन्द्रीय सदस्य चुने गए थे। उदयपुर जिला के लक्ष्मी नारायण चौधरी, सुनसरी के प्रभु नारायण चौधरी, सप्तरी के हिरालाल चौधरी, भदस्वर प्रसाद साह, सत्यनारायण मंडल और जयकृष्ण गोइत, धनुषा के जोगिन्द्र साह काका, गणेश साह, महोत्तरी के जीवेन्द्र नाथ भा, महाविर प्रसाद सिंह और सीतानन्दन राय, सर्लाही (छत्तौना) के सुरेन्द्र सिंह, बारा के सोहन लाल चौधरी और गोपाल ठाकुर ऐसे अनेकन मधेसी व्यक्तियों ने नेपाल में कम्युनिष्ट आन्दोलन को सिंचा है। अनेकन लोगों ने कम्युनिष्ट आन्दोलन के नाम पर शहादत पाया है। असंख्य लोग जेल के कठोर जीवन को भोगा है।

सिरहा के बडहरा माल में जन्मे बहादुर सदा मुसहर समुदाय के होते भी उन की राजनीतिक चेतना के कारण वि.स. २०११ साल सेना के द्वारा मारे गए। रौतहट जिला कम्युनिष्ट क्रियाकलाप का एक मुख्य केन्द्र रहा था। रौतहट के हरिहर यादव लगायत दुखीलाल चौधरी, छवील चौधरी, हरदयाल महतो, अमीन दर्जी आदि नेताओं का नाम उल्लेख्य है। कम्युनिष्ट आन्दोलन के क्रम में ही वि.स. २०३२ साल में रामाधीन महतो, मज्जुलद अहमद, हरिकृष्ण चौधरी, विरजू चौधरी और भेटला राजवंशी मारे गए। पंचायती व्यवस्था का शुरुआती दौर के ही रूपन्देही जिला के मर्चवार में तत्कालिन मधेस मोर्चा के नेता रघुनाथ राय तथा कपिलवस्तु में रामजी मिश्र गोली के शिकार बनाये गये। सप्तरी के कम्युनिष्ट नेता जयकृष्ण गोइत और सत्यनारायण मण्डल लम्बे समय तक जेल में रहे हैं। भारत के पश्चिम बंगाल से शुरु हुआ नक्सलवादी आन्दोलन का प्रभाव भी पूर्वी नेपाल के भूपा, मोरङ जैसे जिलों में पडा। नक्सलवादी सोच का भूपा संघर्ष के दौरान वि.स. २०२९ साल में भूपा के ही वीरेन राजवंशी, वि.स. २०३३ साल में सिरहा के रामप्रीत यादव और मोरङ के वलेश्वर राय, वि.स. २०३६ साल में धनुषा के भूपसी मण्डल और २०४६ साल में भूपा के छविलाल राजवंशी प्रहरी के द्वारा मारे गए। वि.स. २०४२ साल आश्विन ४ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता सूर्यनाथ यादव को सरकार ने कायरता पूर्वक हत्या की। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता जय गोविन्द शाह ने जेल और बाहर रहकर आजीवन संघर्ष किया। वे करीब छ साल तक जेल में रहे थे। सिरहा जिला से एमाले पार्टी का संसद सदस्य रहे हेमनारायण यादव का वि.स. २०६० साल माघ १९ गते सेना के ब्यारेक में हत्या कर दिया गया।

मूल धार की मधेसी राजनीति

तराई कांग्रेस की स्थापना नेपाल की राजनीति में एक दूरगामी महत्व का घटना था। सन् १९४७ में भारत की स्वाधिनता और सन् १९५० (वि.स. २००७) में नेपाल में राणा विरोधी जन क्रान्ति के सफलता के दूसरे वर्ष ही २००८ साल में तराई कांग्रेस स्थापना हुई थी। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि, जिस वक्त नेपाल के लोग अच्छी तरह से प्रजातन्त्र का अर्थ भी नहीं समझ पाए थे उस वक्त तराई कांग्रेस के संस्थापकों ने नेपाल में मधेसीयों के साथ हो रहे विभेद का अन्त्य, प्रादेशिक संचना की मांग, भाषाई अधिकार के सवालों को जोड़दार तरिके से उठाया था। सिरहा जिला निवासी बलदेव दास यादव और कुलानन्द भ्वा के सक्रियता में इस पार्टी का जन्म हुआ था। सिरहा के सीमावर्ती जयनगर क्षेत्र में रुद्र प्रसाद गिरी, देवनाथ दास यादव, बलदेव दास यादव, कुलानन्द भ्वा आदि नेपाल के राणा विरोधी और नेपाली कांग्रेस से सम्बन्धित व्यक्ति के रूप में कार्यरत थे। वे सभी बहुत बड़े क्रान्तिकारी थे और साथ साथ भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी सक्रिय हुए थे। परन्तु कुलानन्द भ्वा और बलदेव दास यादव का चेतना भिन्न प्रकार का था। कुलानन्द भ्वा राजनीति के प्रारम्भ से ही मधेसीयों के प्रति हो रहे विभेद से वाकिफ थे। उन का परिचय वी.पी. कोइराला से था। उन्होंने २००७ के क्रान्ति के पश्चात ही मधेसीयों के प्रति हो रहे विभेद को हटाने के लिए क्रान्ति नायक वि.पी. कोइराला से संवाद किया। वि.पी. ने इसे साम्प्रदायिक सोच कह कर दुत्कार दिया। इस से कुलानन्द भ्वा दुःखित हुए। उन का इसी विद्रोही तेवर के कारण २००७ साल में जब वी.पी. कोइराला राणा-कांग्रेस अन्तरिम सरकार के गृहमंत्री थे, कुलानन्द भ्वा को गिरफ्तार किया गया था। वि.स. २००८ साल में सिरहा का कल्याणपुर जब्दी स्थित महादेव मन्दिर का धर्मशाला में मधेसीयों की एक सभा बुलाई गई थी। इस सभा का अध्यक्षता बलदेव दास यादव ने किया था। यही कुलानन्द भ्वा के अध्यक्षता में तराई कांग्रेस का गठन हुआ। जनकपुर में इस का घोषणा किया गया। तराई कांग्रेस के गठन के कुछ बाद ही कुलानन्द भ्वा ने अपना सहोदर भाई वेदानन्द भ्वा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। वेदानन्द पटना में पत्रकारिता करते थे।

वि.स. २०१५ साल का पहला आम निर्वाचन में इस पार्टी ने संसद का कुल १०९ स्थान मध्ये तराई के २१ स्थान पर उम्मेदवार खड़ा किया था, परन्तु पार्टी को एक भी स्थान प्राप्त नहीं हो सका। राजा महेन्द्र के द्वारा संसदीय व्यवस्था को भंग किए जाने के बाद तराई कांग्रेस के तत्कालिन अध्यक्ष वेदानन्द भ्वा भी गिरफ्तार हुए थे। वे संघर्ष में टिक न सके और अपनी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए राजा के कदम को समर्थन किया। बाद में वे पंचायती व्यवस्था के तहत एक शक्तिशाली मंत्री बने। तराई कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेतागण वेदानन्द भ्वा के इस आत्म समर्पण से सहमत नहीं थे। उस समय के माहौल में रामजनम तिवारी आदि नेताओं ने मूल्यांकन किया कि, पहले देश में लोकतन्त्र की स्थापना हो, फिर हम तराई की अधिकार के लिए लड़ेंगे। इस सोच के साथ तराई कांग्रेस के तत्कालिन महासचिव रामजनम तिवारी ने रक्सौल में सम्मेलन करके पहला कदम-प्रजातंत्र पुनर्स्थापना के नाम पर सुवर्ण शमसेर के मार्फत तराई कांग्रेस को नेपाली कांग्रेस में विलय कर दिया।

मधेस-तराई की मुक्ति का सवाल

तराई कांग्रेस का नेपाली कांग्रेस में विलय के बाद तराई के नाम पर संगठित रूप से कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं रहा। पश्चिम तराई के वामपंथी विचारधारा से प्रभावित कुछ व्यक्तियों ने तराई मुक्ति मोर्चा का गठन कर फाटफूट रूप में कुछ कारवाही करने का उल्लेख मिलता है। इस से सम्बन्धित रहे व्यक्ति तराई कांग्रेस से भी जुड़े थे। इस संगठन ने पश्चिम तराई के क्षेत्रों में छापामार युद्ध संचालित करने का निर्णय किया था। वि.स. २०२० साल असार का पहला सप्ताह में नेपाल सरकार के सैनिकों के द्वारा मोर्चा के नेता रामजी मिश्र का हत्या कर दिया गया। इसी तरह तराई मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ राय की भी शाही नेपाली सेना के द्वारा हत्या कर दी गयी। इन का हत्या रूपन्देही जिला के सीमावर्ती भारतीय शहर नौतनवा से अपहरण करके नेपाली सीमा के भीतर ला हत्या कर दी गयी। इसी तरह से सत्यदेव मणि त्रिपाठी की भी हत्या हुई।

राजा महेन्द्र के द्वारा सैनिक बल पर शासन किए जाने बावजूद भी सुनसरी के रघुनाथ ठाकुर ने मधेस मुक्ति आन्दोलन को आगे बढ़ाया। रघुनाथ ठाकुर नेपाल में मधेसियों के प्रति हो रहे भेदभाव और राजनीतिक शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण आन्दोलन के पक्षधर थे। वि.सं. २०१५ साल में ही रघुनाथ ठाकुर ने “परतंत्र मधेस और उसकी संस्कृति” और वि.स. २०१६ साल में “मधेस आन्दोलन के प्रस्ताव और उनकी व्याख्या” नामक पुस्तक प्रकाशित की। वे एक सिद्धहस्त लेखक थे। उन्होंने विराटनगर से हिन्दी में “राजहंस साप्ताहिक” और “मधेसी आवाज” नामक पत्रिका निकालनी शुरू की। वास्तव में रघुनाथ ठाकुर ने ही सर्व प्रथम स्पष्ट व्याख्या के साथ मधेस की मुक्ति का सवाल को उठाया। उन्होंने मधेस एवं मधेसी के विकास के लिए मधेसी राष्ट्रीय पुलिस, फौज, कार्यपालिका, विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा लोक सेवा आयोग आदि का परिकल्पना कर इस की स्थापना के लिए आन्दोलन पर जोड़ दिया। उन्होंने मधेसी क्रान्ति को आगे बढ़ाने के लिए “मधेस जन क्रान्तिकारी दल” नामक संगठन को जन्म दिया था। परन्तु, दुर्भाग्यवश वि.स. २०३८ साल जेठ माह में सन्देहास्पद अवस्था में वे मृत पाए गए। उन की मृत्यु भी सप्तरी और सिरहा जिला के सीमावर्ती एक भारतीय कस्बा में हुई। उन के परिजनों के अनुसार नेपाल सरकार के षडयन्त्र के तहत उन का भोजन में विष मिलाकर हत्या कर दिया गया। रघुनाथ ठाकुर का देहावसान मधेस आन्दोलन का सबसे बड़ा क्षति था।

सदभावना पार्टी का उद्भव और पतन

नेपाल सदभावना परिषद और बाद में नेपाल सदभावना पार्टी का जन्म नेपाली कांग्रेस का मधेसी समस्याओं पर रहा असहिष्णु व्यवहार के कारण हुआ। नेपाली कांग्रेस के भीतर शुरू से ही कुछ मधेसी नेतागण मधेस की समस्या को उठाते रहें। महोत्तरी के रामाकान्त झा ने वी.पी. कोइराला के सम्मुख मधेस के सवाल को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में रखा था। वे नेपाली कांग्रेस के नेता थें। खास कर भद्रकाली मिश्र, गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी, रासबिहारी राय यादव, चैतु चौधरी, बलराम नायक, गंगाधर झा, रामचन्द्र मिश्र आदि नेतागण पंचायती व्यवस्था के दौरान लागू किया गया भूमि सुधार कार्यक्रम और नागरिकता सम्बन्धि कानून के बारे में नेपाली कांग्रेस पार्टी के द्वारा मधेस मैत्री नीति अख्तियार करने पर दवाव देते रहे थे। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष वी.पी. कोइराला जेल में थें। सुवर्ण शमसेर पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष थें। कहा जाता है कि, सुवर्ण शमसेर मधेस की समस्याओं के बारे में कुछ हद तक सहानुभूति रखते थें। परन्तु, इस से साम्प्रदायिक भावना बढ़ने का खतरा भी देखते थें। जेल से वि.पी. कोइराला के रिहाई के बाद उन्होंने मधेसियों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के पास नीतिगत रूप से मधेसियों के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम या कार्य योजना नहीं थी। पंचायती व्यवस्था के इस दौर में ही राजसत्ता के द्वारा कड़ी शर्तों पर नागरिकता देने के लिए टोली गठन कर मधेस में भेजने का निर्णय लिया गया। यह मधेसी समुदाय को नागरिकता से बेदखल करने का एक खुला षडयन्त्र था। इस के विरुद्ध नेपाली कांग्रेस में रह कर ही गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी, रासबिहारी राय यादव, चैतु चौधरी आदि नेताओं ने एक पर्चा निकाला था। इन की बातों को अनदेखा किया गया। इन लोगों ने तराई की समस्या के सम्बन्ध में भारत के तत्कालिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात कर दखल देने हेतु उन्हें अनुरोध किया। उन्होंने नहीं सुना। इस के बाद विशेषतः नेपाली कांग्रेस के पूर्वाञ्चल से जुड़े हुए ये नेतागण भारत में विपक्षी दल की नेता श्रीमति इन्दिरा गांधी से भेंट की, इन्दिरा गांधी मधेसियों के प्रति सहानुभूति रखती थी।

लगभग इसी वक्त नेपाल में डा. हर्क बहादुर गुरुंग का आप्रवासन सम्बन्धि प्रतिवेदन आया था। यह प्रतिवेदन मधेसीयों के खिलाफ में था। वि.स. २०३९ साल में डा. हर्क बहादुर गुरुङ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में तराई में बृहद् जन आक्रोश देखा गया। इसी माहौल में नेपाली कांग्रेस के भीतर रहे मधेसी नेताओं ने नेपाली सदभावना परिषद् गठन करके इस रिपोर्ट का विरोध करने का फैसला लिया। पूर्वाञ्चल से कांग्रेस के सदस्यों की सक्रियता में नेपाल सदभावना परिषद् जनकपुर धाम के नाम से गुरुङ प्रतिवेदन के विरुद्ध पर्चा निकाला गया। इसी पर्चा काण्ड में रामजनम तिवारी वीरगंज में गिरफ्तार हुए। गजेन्द्र नारायण सिंह को महोत्तरी का पिपरा से गिरफ्तार किया गया। गजेन्द्र नारायण सिंह के अलावा दिलीप

सिंह, देव नारायण भ्वा, रामकृष्ण साह आदि गिरफ्तार हुए थे। गजेन्द्र नारायण सिंह के ऊपर राजकाज अपराध सम्बन्धी मुद्दा चलाया गया। इन घटनाक्रम में प्रतिबन्धित रहे नेपाली कांग्रेस मौन रहा। बाद में कांग्रेस के कुछ मधेसियों ने नेपाली कांग्रेस पार्टी से विद्रोह करते हुए गजेन्द्र नारायण सिंह के संयोजकत्व में नेपाली सद्भावना परिषद् का गठन किया गया। जिसमें बलराम नायक उप संयोजक थे और अन्य सदस्यों में काशी प्रसाद श्रीवास्तव, गंगाधर भ्वा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, राजेश्वर नेपाली, विश्वनाथ साह और दिलीप कुमार सिंह आदि थे।

एक राजनीतिक मञ्च के रूप में सद्भावना परिषद् का गठन कर आवाज उठाने के जर्म में तत्कालिन सरकार घोर असहिष्णु होकर मधेस के नेताओं पर साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रीयता की भावना फैलाने का आरोप लगाया। इसी इल्जाम पर राजकाज अपराध के कानून अन्तर्गत रामजनम तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद साह, दिलीप कुमार सिंह, रामकृष्ण साह सहित कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलें बन्द कर दिया गया। बीरगंज से गजेन्द्र नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया, वे काठमाण्डू में नागरिकता समस्या पर राष्ट्रीय स्तर को गोष्ठी करना चाहते थे। इस संघर्ष में गजेन्द्र नारायण सिंह का व्यक्तित्व एक लड़ाकू नेता के रूप में उभरा। उन्होंने पंचायती व्यवस्था के संरचना में ही चुनाव लड़ने का सोच बनाया। अपने सहयोगी अनिस अन्सारी को राजविराज नगर पंचायतका प्रधानपंच में चुनाव लड़ाया। वे विजयी हुए। गजेन्द्र नारायण सिंह स्वयं सप्तरी से राष्ट्रीय पंचायत का चुनाव लड़े। पहली बार पराजय के बाद दूसरी बार वे राष्ट्रीय पंचायत के सदस्य बन गये। उन का इस निर्णय को काफ़ि विवादास्पद माना गया। राष्ट्रीय पंचायत में उन्होंने मधेसियों की नागरिकता समस्या, हिन्दी भाषा की मान्यता, मधेसी की पोशाक धोती, कुर्ता को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान्यता, जनसंख्या के आधार पर राजकीय सेवाओं में सीट का आरक्षण, तराई की भाषा में सरकारी टेलिभिजन और रेडियो नेपाल से समाचार आदि प्रसारण की व्यवस्था और मधेसियों के पर्व त्यौहारों में सार्वजनिक छुट्टी की व्यवस्था जैसे सवाल को उठाया।

वि.स. २०४७ साल वैशाख २-३ गते काठमाण्डू में हुई एक छलफल के पश्चात सद्भावना परिषद को रूपान्तरित कर नेपाल सद्भावना पार्टी बनाना तय हुआ। यह बैठक गजेन्द्र नारायण सिंह ने बुलाया था। वि.स. २०४६ का फागुण ७ गते से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में पंचायती व्यवस्था के खिलाफ पहला जन आन्दोलन का आह्वान किया गया था। इस जन आन्दोलन की सफलता के बाद पंचायती व्यवस्था का अन्त्य हुआ और वि.स. २०१७ साल से राजनीतिक दलों पर रहा प्रतिबन्ध हटाया गया था। इस के बाद ही खुली राजनीतिक वातावरण में मधेसी समुदाय का अपना एक राजनीतिक पार्टी हो, इस अभिप्राय से नेपाल सद्भावना पार्टी का जन्म दिया गया। वि.स. २०४७ साल आषाढ का १५ गते जनकपुर धाम में नेपाल सद्भावना पार्टी का स्थापना महाधिवेशन हुआ। गजेन्द्र नारायण सिंह सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। पार्टी अपनी मुख्य मांगों में तराई के सभी मधेसियों को नागरिकता परिचय पत्र दिलाना, हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना, हिन्दी को भी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता, निजामती और सैनिक सेवाओं में मधेसियों के लिए आरक्षण, संघात्मक राज्य प्रणाली की व्यवस्था, मधेसिया की अलग पहचान के साथ राष्ट्रीय मूलधारा में समावेश करने के लिए उसकी भाषा, संस्कृति वेश-भूषा को मान्यता देते हुए जनसंख्या के आधार पर संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के सवाल को मुख्य रूप से उठायी गयी।

वि.स. २०४८ साल में हुए आम निर्वाचन में नेपाल सद्भावना पार्टी को कुछ सफलता मिली। संसदीय कार्यवाही में इस पार्टी का भूमिका उल्लेखनीय भी रहा। इस के बावजूद भी नेपाल सद्भावना पार्टी अपने उद्देश्य प्राप्त के लिए विरोध प्रदर्शन, अनशन, मधेस बन्द, मेची- महाकाली रथयात्रा जैसे कार्यक्रम करते रहें। वि.स. २०५१ साल में मध्यावधि निर्वाचन के बाद संसद में किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं रहा। त्रिशंकु संसद का गठन हुआ और नेपाली राजनीति में सत्ता निर्माण के लिए सांसदों का खरिद फरोख्त शुरू हुई। एक छोटा, नव गठित, अप्रशिक्षित और कमजोर प्रतिवद्धता के कार्यकर्ताओं से बनी पार्टी होने के कारण से इस संसदीय दौर में नेपाल सद्भावना पार्टी अपने को बचा न पाया। पार्टी संयुक्त सरकार में सहभागी हुई। इस पार्टी के लोग मंत्री भी बने। सत्ता सुख और सत्ता मोह, सुविधा की राजनीति की परिपूर्ति के लिए पार्टी के नेताओं के बीच गंभीर अन्तरकलह उभर कर आया। इसी

अन्तरकलह के कारण कुछ सांसदों ने पार्टी विभाजन की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जनता दल का गठन किया और सत्ता में भी पहुंचे। यही से नेपाल सद्भावना पार्टी में विभाजन और विघटन का दुःखद दौर शुरु हुआ। पार्टी कमजोर होती गई। एक से बिखर कर कई पार्टियां बनीं। मधेसियों के प्रति विभेद, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनी पार्टी अपने उद्देश्य से विमुख होकर वोट की राजनीति, सत्ता के प्रति समर्पण भाव, भोग-विलास के साधन जुटाने का एक साधन भर रह गया। पार्टी के द्वारा सत्ता राजनीति को ही प्राथमिकता देने के कारण से अवसरवादी नेतृत्व को बढ़ावा मिला, फलतः पार्टी संघर्ष की राजनीति का परित्याग कर नीतिगत रूप से दिशाहीन और विचलित हो गयी। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह का दुःखद निधन हुआ। वर्तमान तक की यात्रा में गजेन्द्र नारायण सिंह और राम जनम तिवारी जैसे नेताओं के द्वारा गठित पार्टी कई दृश्य अदृश्य कारणों से असान्दर्भिक होकर घिसट रहा है। वस्तुतः जन्म कालिन उद्देश्यों के आधार पर देखा जाय तो इस पार्टी का पतन हो चुका है।

गणतन्त्र की जननी मधेस : रामराजा प्रसाद सिंह का दौर

देश के पहले गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह एक अविचलित और अपने ध्येय के प्रति सम्झौताहीन क्रान्तिकारी थे। सन् ६० में दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना छात्र जीवन के दौरान वे क्यूबा क्रान्ति के उत्प्रेरक चे गुवैरा से प्रभावित हुए। अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने नेपाल में जनवादी क्रान्ति और गणतंत्र की स्थापना के लिए छापामार युद्ध के महत्व का आंकलन किया। क्रान्ति के सम्बन्ध में उन का राय था : जिस मुल्क में तत्काल सशस्त्र क्रान्ति की परिस्थिति मौजूद नहीं है, उहाँ के क्रान्तिकारियों को तीन चरणों से गुजरना होगा। पहला, संवैधानिक संघर्ष। दूसरा, अहिंसात्मक क्रान्ति। और तीसरा, सशस्त्र संघर्ष। संवैधानिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वि.सं. २०२८ साल में वे राष्ट्रिय पंचायत में स्नातक निर्वाचक-क्षेत्र से उम्मेदवार हुए। उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र में “निर्दलीय संविधान का खात्मा कराना” अपना उद्देश्य बताया था। वे विजयी हुए। निर्वाचन में विजयी होने के बाद भी उन्हें सरकार द्वारा शपथ ग्रहण करने न देकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजा महेन्द्र ने जेल से रामराजा प्र. सिंह को नारायण हिटी राजदरबार में बुलाकर समझौता करना चाहा, कई तरह के पद, प्रतिष्ठा जैसे प्रलोभन का प्रस्ताव दिया गया। परन्तु राजा महेन्द्र फिर भी असफल ही रहे।

संवैधानिक संघर्ष के बाद रामराजा प्रसाद सिंह अहिंसात्मक आन्दोलन का तैयारी के लिए मधेस के विभिन्न शहरों, गावों और कस्बों में आमसभा, जुलूस प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन्हें फिर गिरफ्तार कर करिब ४ वर्ष तक काठमाण्डू के जेल में रखा गया। जेल में ही उन्होंने नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनायी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का तैयारी प्रारम्भ किया। उन्होंने एक राजनीतिक संगठन के रूप में “बहुदलीय जनवादी मोर्चा” गठन कर जनवाद और गणतन्त्र की अवधारणा का सूत्रपात किया। इसी बीच वि.सं. २०३७ में नेपाल में “पंचायती व्यवस्था वा सुधारिएको पंचायती व्यवस्था” इस विषय पर जनमत संग्रह का निर्वाचन हुआ था। रामराजा प्रसाद सिंह ने इस निर्वाचन को प्रयोजनहीन और राजा के साथ सम्झौता बताकर बहिष्कार किया। उन का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष ही था। सशस्त्र संघर्ष की तैयारी के लिए उन्होंने सैकड़ों छापामार तैयार किए। उन का निर्देशन में जनवादी मोर्चा के तरफ से वि.सं. २०४२ साल आषाढ ६ गते नारायण हिटी राजदरबार, सिंहदरबार, अन्नपूर्ण होटल लगायत राष्ट्रव्यापी रूप में बम विस्फोट किया गया। बम विस्फोट के माध्यम से राजतंत्र के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया गया था।

संघर्ष का प्रमुख उद्देश्यों में उन्होंने राजतंत्र का अन्त, जनवादी गणतंत्र की स्थापना, निजी सम्पत्ति का उन्मूलन, उपभोग्य सम्पत्तियों में आधारभूत समान अधिकार की मांग को उठाया था। जनवादी मोर्चा के नाम से रामराजा प्रसाद सिंह ने एक वक्तव्य जारी कर “विदेशी आक्रमणकारियों ने नेपाल पर आक्रमण कर युद्ध में नेपाली जनता को पराजित कर पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। भावनात्मक रूप से नेपाली राष्ट्रवाद को छिन्न-भिन्न कर विभिन्न जातियों के गणराज्यों को सैन्य शक्ति के बल से कुचल कर उन्हें दासत्व का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। हमें आजादी,

स्वतंत्रता और आधारभूत अधिकारों से भी वंचित किया गया है। नेपाल और नेपाली जनता के मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से राजतन्त्र की समाप्ति करना होगा”-कहा था। उस बम काण्ड के आरोप में रामराजा प्रसाद सिंह लगायत के नेताओं को नेपाल के सर्वोच्च अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनायी गई। (इस का विवरण उपर में दिया गया है) इस के बावजूद भी वे लोग भूमिगत रहकर संघर्ष जारी रखे। इस बीच रामराजा प्रसाद सिंह भारत में निर्वासित जीवन व्यतित कर रहे थे। वि.स. २०४७ में नेपाल में बहुदलीय प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। रामराजा प्रसाद सिंह इस से सहमत नहीं थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत से कोई कारवाही न करने का कड़ा हिदायत दिया। नेपाली सरकार के अनुरोध पर जनवादी मोर्चा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और छापामारों को गिरफ्तार कर उनके हाथ हथियार जब्त कर लिया गया। वे नेपाल में हुए वि.स. २०४८ का आम चुनाव में सहभागी नहीं हुए। लेकिन वि.स. २०५१ साल का मध्यावधि निर्वाचन में नेपाल जनवादी मोर्चा के ही नाम से भाग लिया। इस आम निर्वाचन में उन का पार्टी एक भी स्थान नहीं प्राप्त किया। पार्टी की संरचना विखर गयी। जनवादी मोर्चा के कई क्रान्तिकारी लोग माओवादी दल में सरिक हुए। जैसा कि स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ने बताया है-माओवादीओं को सब से पहले बम, बारूद और विस्फोटक बनाने में प्रशिक्षण देने का काम जनवादी मोर्चा के विशेषज्ञों ने ही किया था।

रामराजा प्रसाद सिंह प्रत्यक्षतः मधेस के राजनीति से नहीं जुड़े। परन्तु, मधेसीयों के प्रति हो रहे विभेद से वे परिचित और असहमत थे। रामराजा प्रसाद सिंह का कहना है कि “नेपाल में राजतंत्र का उन्मूलन, जनवादी गणतंत्र की स्थापना और संघात्मक प्रणाली के अन्तरगत मधेसी और विभिन्न जातियों का स्वायत्त शासन कायम होते ही मधेसी और जनजातियों के प्रति कायम भेदभाव और जातीय उत्पीड़न का स्वतः अन्त हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वीनारायण शाह ने मधेसीयों सहित विभिन्न जातियों के गणराज्यों पर सैनिक शक्ति से दमन कर उन्हें खत्म करके उसे पराधीन बनाकर जातीय उत्पीड़न और भेदभाव कायम किया था। मधेसी और विभिन्न जातियों का अपना-अपना स्वशासन वाले गणराज्यों की स्थापना के पश्चात् उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण एवं उत्पीड़न का अंत होने के साथ ही उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला के विकास का समान अवसर प्राप्त होगा।”

नेपाल में वि.स. २०६३ के जन आन्दोलन और २०६४ का मधेस आन्दोलन की सफलता के बाद संविधान सभा के द्वारा गणतन्त्र की स्थापना हुई। नेपाली इतिहास का एक अंग के रूप में रहा २४० वर्ष पुराना शाही राजतन्त्र का अन्त्य हुआ। गणतन्त्र स्थापना के इस मुहीम के ऐतिहासिक आन्दोलन का निर्माण रामराजा प्रसाद सिंह ने किया था। राजतन्त्र के समाप्ति के बाद नेपाल में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति का पहला चुनाव हुआ। मुल्क का पहला संविधान सभा में नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी प्रथम शक्ति और मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल संविधान सभा का चौथा बड़े पार्टी के रूप में उभरा था। फोरम, तमलोपा और सद्भावना पार्टी मिलकर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा का गठन किया गया था। देश के इतिहास का पहला राष्ट्रपति निर्वाचन में नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी और संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (विशेषतः मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल) के बीच समझदारी हुई थी। इस समझदारी के अनुसार रामराजा प्रसाद सिंह को राष्ट्रपति के उम्मेदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया। परन्तु, यह समझदारी कायम न रहा। राष्ट्रपति निर्वाचन के रोज ही सबेरे एक गंभीर षडयन्त्र के तहत मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के साथ गोप्य गठबन्धन किया। उपेन्द्र यादव ने अपने पार्टी में छलफल तक न करके राष्ट्रपति के उम्मेदवार के रूप में नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के संयुक्त प्रत्यासी डा. रामवरण यादव को समर्थन किया। मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल में बड़ा विवाद हुआ। फोरम नेपाल के तत्कालिन सह अध्यक्ष तथा सभासद् जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता ने इस निर्णय को गलत बताते हुए विरोध किया था। उन्होंने इस निर्णय को उपेन्द्र यादव के द्वारा जनक्रान्ति और मधेस विद्रोह के ललाट पर काला टिका लगाना बताया था। उपेन्द्र यादव का इस राजनीतिक बेइमानी तथा अन्तरघात से अन्य मधेसी पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी और सद्भावना पार्टी भी सहमत नहीं हुआ। फिर भी उपेन्द्र यादव नहीं माने। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुई। मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल से जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता के साथ १४ सभासदों ने राजनीतिक

धर्म का अनुसरण कर रामराजा प्रसाद सिंह के पक्ष में वोट मतदान किया। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी और सद्भावना पार्टी ने भी रामराजा प्रसाद सिंह के पक्ष में मतदान किया। परन्तु, दुर्भाग्य रामराजा प्रसाद सिंह निर्वाचन में पराजित हुए। डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति बने। रामराजा प्रसाद सिंह के मृत्यु के बाद उन का पार्टी नेकपा एकिकृत माओवादी पार्टी में विलय करा दिया गया।

माओवादीओं के द्वारा मधेसी मुक्ति का नारा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने वि.स. २०५१ साल से शसस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ किया। जनयुद्ध के दौरान माओवादी ने जातीय और वर्गीय मुक्ति के मुद्दा को जोड़तोड़ के साथ उठाया। क्षेत्रिय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक समेत हर क्षेत्र में विद्यमान रहा दमन, उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने का नारा माओवादीओं ने दिया था। नेपाल का विषेशतः पहाडी क्षेत्रों में माओवादीओं के इस नारा का गंभीर प्रभाव पडा और लोग जनयुद्ध में जुटते गये। मधेस में भी इस का प्रभाव पडा। परन्तु, माओवादी पार्टी का मधेस में कमजोर संगठन होने के कारण से शसस्त्र जनयुद्ध का फैलावट सिमित ही रहा था। मधेस में शसक्त संगठन के बगैर जनयुद्ध को सफलता नहीं प्राप्त होगा-इस निष्कर्ष के साथ माओवादीओं ने मधेस केन्द्रीत “मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा” का गठन प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। माओवादी पार्टी में उस वक्त मातृका यादव, जयकृष्ण गोइत, प्रभु साह, सत्यनारायण भगत, महेन्द्र पासवान, भरत साह, विनोद उपाध्याय, अशोक जयसवाल, कृष्ण देव सिंह दनुवार, राम कुमारी यादव, रामचन्द्र मण्डल, शिवचन्द्र कुशवाहा आदि कद्दावर नेता थे। माओवादी पार्टी के निर्देशन पर भूमिगत अवस्था में ही वि.स. २०५७ साल भाद्र २५ गते एक छलफल कार्यक्रम रखा गया और “मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा” का नामाकरण कर इस का गठन करने का निर्णय लिया गया। महेन्द्र पासवान के संयोजकत्व में एक तयारी समिति बनी थी। “मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा” का पहला संस्थापक अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत बनाए गए। अपने स्थापना कालिन उद्देश्य में मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ने उल्लेख किया था : “मधेसी समुदाय के ऊपर युगों से कायम विभेद और शोषण से मुक्ति दिलाना है। इसके लिए मधेसी समुदाय को आत्मनिर्णय और स्वायत्त शासन का अधिकार दिया जाएगा। देश को सामन्तवाद, विस्तारवाद (भारतीय), साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा संचालित जनयुद्ध में सरिक रहेंगे।” नेपाल में नयी जनवादी क्रान्ति को समर्थन करना और जनवादी गणतंत्र स्थापना करने के लिए अग्रसर होना मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य बताया गया था।

नव गठित मोर्चा और अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत का संघर्षशील व्यक्तित्व और कुशल संगठनात्मक कार्य के बदौलत मोर्चा अल्प समय में ही एक शसक्त संगठन में रूपान्तरित हुआ। माओवादी दस्तावेज के अनुसार वि.स. २०५८ साल भाद्र ५ गते भूमिगत रूप में सर्लाही जिला का किसी भाग में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड” के द्वारा मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया गया था। उदघाटन समारोह का अध्यक्षता जयकृष्ण गोइत ने किया था। इस मौके पर माओवादी के पूर्वाञ्चल उपब्यूरो के सदस्य रहे उपेन्द्र यादव भी उपस्थित थे। यही प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन से मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत को दर किनार कर मातृका यादव को अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष में क्रमशः महेन्द्र पासवान, सत्यनारायण भगत और विनोद उपाध्याय थे। प्रभु साह महासचिव बनाए गए। यहीं से माओवादी के अध्यक्ष प्रचण्ड और जयकृष्ण गोइत के बीच मत भिन्नता उभर कर आया। माओवादी पार्टी में मधेस की मुक्ति के सवाल पर मोर्चा से प्रचण्ड सिर्फ प्रचारात्मक भूमिका चाहते थे जब की जयकृष्ण गोइत मधेस की मुक्ति के सवाल पर माओवादी पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण और ठोस कार्यक्रम चाहते थे। प्रचण्ड को गोइत का भूमिका और दो टूक दृष्टिकोण रास नहीं आ रहा था। जयकृष्ण गोइत को दर किनार करने के लिए ही मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन अयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रचण्ड ने अपने मुँहबोले मधेसी नेताओं के बल पर मातृका यादव को मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। यही से जयकृष्ण गोइत को किनारा किया गया। उन्हें मधेस के संगठन से दूर कर संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद का पूर्वाञ्चल संगठन में धकेल दिया गया। यहाँ गौर करने की बात यह भी है की बाद के दिनों में मातृका यादव भी प्रचण्ड नेतृत्व के माओवादी पार्टी में नहीं रह सकें। जयकृष्ण गोइत भी माओवादी परित्याग कर मधेस की मुक्ति के लिए शसस्त्र संघर्ष का रास्ता

को अपनाया। इन सभी घटनाक्रमों बावजूद माओवादी जनयुद्ध में लगाकर मधेस की मुक्ति का चाह में सयकड़ों होनहार मधेसी क्रान्तिकारियों ने अपना जीवन को शहादत दिया, शहीद हुए, मारे गये। धनुषा निवासी रामबृक्ष यादव बहुत बड़े नेता थे। वे मारे गये। उन का पुत्र शेखर, दामाद डम्बर की हत्या हुई। धनुषा के ही रामचन्द्र मण्डल मारे गए। सिरहा के देवनारायण यादव और उन का सुपुत्र सुजित नारायण यादव का एक साथ निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया। सिरहा में ही जीतलाल यादव, मोहन सदा, धनपैत महतो, योगेन्द्र मण्डल, महेन्द्र साफी, लक्ष्मण मुखिया, राम किशन यादव, शिव यादव, प्यारे खाँ, राज कुमार यादव, देवलाल यादव, आनन्द कुमार यादव, फेकन यादव, राम नारायण यादव, लरिया यादव, सोनिलाल मोची, सितलाल यादव, म. नेजाम खाँ, सरिता कुमारी महतो, राम जुलुम यादव, बलराम यादव, लक्ष्मण पैत मण्डल, वैद्यनाथ यादव, कारी मण्डल, सीताराम यादव, देवेन्द्र प्रसाद सिंह, सोनेलाल मण्डल, महेन्द्र महतो आदि पचासों मारे गए। सप्तरी में अजवलाल यादव की हत्या हुई। मनरुप महतो, पसिन्द्र पटेल, लालबाबू पासवान, हनुमान भ्वा, गोलहीया देवी पासवान, राज कुमार यादव, कारी साह, फुलगेन राम, प्रदित दास, राम सेवक ठाकुर, रामनारायण सदा, महेन्द्र साह, रुदल राइन, राम उदगार कापड आदि मारे गये। माओवादीयों और स्वयं मधेसी मुक्ति मोर्चा के लोगों ने भी सयों के संख्या में निपराध मधेसीयों का भी हत्या किया। यहाँ उन सभी विवरणों को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ यह अनुरोध किया जाता है कि, मधेस के मुक्ति के लिए माओवादी पार्टी में रहकर भी कयों मधेसी ने शहादत दिया, जिस से आज स्वयं प्रचण्ड और बैद्य जी के नेतृत्व में रहा माओवादी पार्टीया अज्ञानी बना हुआ है।

मधेस विद्रोह और सत्ता समर्पण-मुद्दा विसर्जन का दौर

मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल का जन्म उस वक्त हुआ जब एक बार फिर मधेस की राजनीतिक आन्दोलन शिथिल हो चुका था। नेपाल सद्भावना पार्टी कई टुकड़ों में बिखर गई थी। माओवादीयों ने उपेक्षित, उत्पीडित क्षेत्र एवं समुदाय का मुक्ति के सवाल को जोर से उठाया था। पहाडी क्षेत्रों में जातीय मुक्ति का सवाल सर्वत्र उठना शुरू हुआ था। उस समय वि.स. २०५४ साल में विराटनगर में रह रहे उपेन्द्र यादव, पत्रकार रामरिभन यादव, शिक्षक जुगेस्वर मेहता और कलेज प्रध्यापक राजेन्द्र प्रसाद साह आदि ने बहस, छलफल, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी के माध्यम से मधेसी समुदाय का समस्याओं को उजागर करने लिए फोरम का अवधारणा को आगे बढ़ाया। फोरम का गठन पूर्व के प्रारम्भिक दौर में उपेन्द्र यादव ने महन्थ ठाकुर, आर.डी. आजाद, खुशीलाल मण्डल, जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता, जयकृष्ण गोइत, जीतेन्द्र नारायण देव, डा. महानन्द ठाकुर, महादेव साह, राजेस्वर नेपाली, भाग्यनाथ गुप्ता जैसे लोगों से बहद परामर्श किया था। इन सभी लोगों के सहयोग से इस की गठन को बढ़ावा मिला। व्यक्तिगत तौर पर उपेन्द्र यादव वामपंथी नेता सहना प्रधान और मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में रहा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्सवादी) से सम्बन्ध रखते थे। वि.स. २०४७ साल के जन आन्दोलन से ठिक पहले इस कम्युनिष्ट घटकका विलय नेकपा (माले) में होकर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बनने के बाद वे एमाले पार्टी के तरफ से सुनसरी संसदीय क्षेत्र नं. ४ से उम्मेदवार थे। नेपाली कांग्रेस के बड़े ख्याति प्राप्त नेता डा. खलिल आजाद से पराजित हो उन की जमानत जप्त हुआ। एमाले के भीतर की गुटवन्दी से परेशान उपेन्द्र यादव तब गजेन्द्र नारायण सिंह के नजदिक पहुंचे, जहाँ वे मधेस की समस्याओं से ज्यादा परिचित हुए। गजेन्द्र नारायण सिंह से प्रभावित उपेन्द्र यादव नेपाल सद्भावना पार्टी में सहयोगी की भूमिका में सरिक हुए और उस पार्टी का विराटनगर में हुआ राष्ट्रिय महाधिवेशन में सहभागी थे। विभिन्न कारणों से सद्भावना पार्टी उन्हें रास नहीं आया और उसी समय माओवादी पार्टी से सम्बन्धित और विराटनगर क्षेत्र में जातीय मोर्चाओं को संगठित करने हेतु कार्यरत् सुरेश आले मगर से उन का परिचय हुआ। यही से वे माओवादी के निकट पहुंचे। और, मधेस में माओवादी पार्टी का संगठन विस्तार करने का माओवादी रणनीति के तहत फोरम नेपाल को माओवादी संगठन से जोडा। माओवादी नेता मोहन बैद्य किरण उस समय पूर्वाञ्चल के इंचार्ज थे। उपेन्द्र यादव मोहन बैद्य से माओवादी शिक्षा में दीक्षित और संगठित हुए। अब फोरम नेपाल अदृश्य रूप में माओवादीओं का ही एक अंग बना। उपेन्द्र यादव का एक ही समय तीन पार्टी एमाले, सद्भावना और माओवादी से ताल्लुकात को एमाले पचा नहीं

पाया। उन के खिलाफ अनुशासन की कारवाही चलाया गया। फिर भी उपेन्द्र वास्तविकता को छुपाए हुए एमाले में भी आते जाते रहें। एमाले पार्टी का नेपालगञ्ज महाधिवेशन के समय स्वयं का घोर उपेक्षा किए जाने से उन्होंने एमाले का परित्याग किया। इस के बाद उपेन्द्र यादव जातीय राजनीति में लगे और गोपाल सेवा समिति (यादव समुदाय का जातीय संगठन) के मोरंग जिला कार्य समिति के अध्यक्ष बने। रामरिभन यादव सचिव थें। दृश्य-अदृश्य घटनाओं का आरोह अवरोह में वि.स. २०५४ साल में उपेन्द्र यादव का अगला कार्य स्थल मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल बना। जिसका जिक्र अपर किया गया है।

अब वे पूर्णकालिन माओवादी कार्यकर्ता थें। माओवादी संलग्नता के आरोप में उपेन्द्र यादव भूमिगत हुए और फिर भारत में रहने लगे। तत्कालिन कांग्रेसी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के समय में माओवादी के साथ सरकार की वार्ता प्रारम्भ हुई। उपेन्द्र यादव नेपाल आए। सप्तरी के मधेसी नेता आर.डी. आजाद फोरम के महासचिव थें। वि.स. २०५९ में विराटनगर में मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल का पहला महाधिवेशन हुआ जिसके प्रमुख अतिथी रामराजा प्रसाद सिंह थें। इस महाधिवेशन का सम्पूर्ण खर्च माओवादी पार्टी ने जुटाया था और माओवादी के केन्द्रीय नेता कुमार पौडेल अधिवेशन में माओवादी पार्टी के तरफ से औपचारिक ईंचार्ज के रूप में उपस्थित थें। जेल से रिहा होने के बाद नेपाली कांग्रेस को परित्याग कर जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता इस अधिवेशन में सरिक हुए थें। दो दिवसीय इस महाधिवेशन का दुसरा दिन ही सरकार-माओवादी शांतिवार्ता भंग हुई और देश में संक्रमण काल की घोषणा हुई। उपेन्द्र यादव अधिवेशन स्थल से ही भूमिगत हो फिर भारत चले गए। अब फोरम नेपाल का नेतृत्व जय प्रकाश गुप्ता ने सम्हाला। उपेन्द्र यादव का भारत प्रवास के दौरान ही जय प्रकाश गुप्ता विहार प्रान्त के कटिहार में हुई बैठक से फोरम नेपाल के महासचिव और फिर सह अध्यक्ष बनाए गए। वि.स. २०६३ के जन आन्दोलन के बाद उपेन्द्र यादव भारत प्रवास से २०६४ साल बैशाख २० गते नेपाल वापस आये। इस वक्त तक मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल का संगठन का अपेक्षित विकास हो चुका था।

मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपालको संयोगवश वि.स. २०६३ साल में हुए पहला मधेस विद्रोह में नेतृत्व का श्रेय प्राप्त हुआ। वि.स. २०६४ का संविधान सभा के निर्वाचन में फोरम नेपाल संसद और संविधान सभा में चौथा बड़ा शक्ति के रूप में उभरा। परन्तु, कुछ ही समय के बाद यह पार्टी भी नेपाल सद्भावना पार्टी के तरह ही मधेसियों के प्रति विभेद, उत्पीडन और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय अपने उद्देश्य से विमुख होकर वोट की जातिवादी राजनीति, स्वयं उपेन्द्र यादव का सत्ता के प्रति अन्ध आशक्ति और उन के द्वारा ही गुटबन्दी का सिर्जना, मधेस की मुद्दाओं का परित्याग, पार्टी संगठन को निजी भोग-विलास के साधन जुटाने का माध्यम में रूपान्तरित करना-इस प्रकार की कार्यों को प्राथमिकता देने से आज यह पार्टी नीतिगत रूप से दिशाहीन और विचलित हो गयी है। पहली संविधान सभा में ५३ स्थान प्राप्त यह पार्टी वि.स. २०७० में सम्पन्न संविधान सभा का दुसरा निर्वाचन में सिर्फ १२ स्थान ही सुरक्षित कर पाया। अल्प समय में बारम्बार विभाजित यह पार्टी आज भी विभाजन का भय भेल रहा है। मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल अब मधेस के विभिन्न जात/जाति, भाषा-भाषी, वर्ग, धर्म, विचारधारा एवं विभिन्न सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाले मधेसियों जो इस पार्टी के नीति, सिद्धान्त एवं कार्यक्रम तथा उद्देश्यों का समर्थन करता रहा है-यह पार्टी अब उन मधेसियों का साझा संगठन नहीं रहा।

संघर्ष सारथि का नाम : तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान

अनेकन् आरोह-अवरोह के बावजूद मधेस का संघर्ष फिर भी नहीं रुका है। मधेसी समुदाय को अधिकार सम्पन्न करने का क्रान्तिकारी अभिभारा अब तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान ने वहन किया है। अभियान का गठन वि.स. २०६९ साल का चैत्र ६ गते हुआ। इस का घोषणा केन्द्रीय संयोजक जय प्रकाश गुप्ता ने राजधानी काठमाण्डौ का डिल्लीबजार स्थित नेपाल सांस्कृतिक संघ में मधेसियों का एक सभा के बीच किया। जय प्रकाश गुप्ता इस के एक रोज पहले ही १४ माह का कारावास से रिहा हुए थे। अभियान के घोषणा सभा के दौरान कहा गया : तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान एक क्रान्तिकारी संगठन होगा। यह सत्ता की राजनीति से दूर रह एक शसक्त क्रान्तिकारी संगठन का निर्माण कर मधेस की अधिकारों की प्राप्ति हेतु आन्दोलन का तैयारी करेगी। यह अभियान मधेसी जनता का, दलित का, आदिवासी-जनजाति

एवं थारू समुदाय का, पहाड के राज्य रूपान्तरण के पक्षधर लोगों का, पहाड की जनजाति और देश भर के मुसलमानों का साभा मंच होगा। देशवासी से अपील में अभियान ने अनुरोध किया कि, देशभर में रह रहे हमारे मित्र, शुभ चिन्तक-जो कल किसी भी पार्टी में आबद्ध थे “अब हम तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान के अंग बने, इसमें संगठित और समूहकृत होकर आन्दोलन को बढ़ावें।” अभियान ने मधेस के सशस्त्र संगठनों को अनुरोध किया “अब हथियार की राजनीति का छोड़े, नेपाल से अलग स्वतन्त्र देश बनाने वाली सोच का परित्याग कर शान्तिपूर्ण राजनीति की मूल धारा में समाहित हों।” अभियान ने स्पष्ट किया कि, मधेस की राजनीति का निर्धारण एक चुनाव नहीं करेगा। कुछ लोगों को सरकार में मंत्री होने से नहीं होगा। तराई-मधेस की अधिकार की यह लड़ाई बहुत लम्बी चलेगी। यसर्थ, भावी क्रान्ति के लिये एक क्रान्तिकारी चरित्र की पार्टी चाहिये। ‘यदि आप के मन में क्रान्ति की भावना है, यदि आप के मन में आमूल परिवर्तन की इच्छा है, आप ने युग परिवर्तन करना चाहा है, आप ने स्थापित पुरानी मान्यताओं को बदलना चाहा है तो क्रान्ति की सिर्फ बातें करने से नहीं होगी, उसके लिये एक क्रान्तिकारी पार्टी की निर्माण की आवश्यकता है। सामान्य सुधारवादी, विकास और सामाजिक सुधार की बातें करने वाली पार्टियों से आमूल राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। राज्य का शासकीय स्वरूप परिवर्तन नहीं हो सकता। नेपाल की स्थापित स्थायी सत्ता-जिसने एक जाति के राज्य, जिसने एक स्वार्थ के साम्राज्य को कायम किया है, उसे बदल नहीं सकते। इस देश में एक स्थायी सत्ता है। यह स्थायी सत्ता एक निश्चित समुदायका है। शासन में उसके अनवरत वर्चस्व को कायम रखने वाले उस समुदायका जो स्थायी सत्ता है, उस सत्ताको हम बदल सके तभी हमारा संघर्ष विजयी माना जाएगा। इस देश में विद्यमान स्थायी सत्ता के रूपान्तरण के लिये संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा।

तमरा अभियान का मानना है कि, विद्यमान मधेस की राजनीति को देखते हुए अब हमें उपयोगी एवं अनुपयोगी धारा का रेखांकन करना होगा। मधेस आन्दोलन से जुड़े हुए युवाओं को मुद्दा के आधार पर आन्दोलन का समीक्षा करना होगा। मधेसी नेतागण-जो विभिन्न समय सत्ता में रहे और आज भी सत्ता से परिवर्तन होने का वकालत कर रहे हैं, उन्होंने क्या हासिल किया ? इस का मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन प्रणाली की अभाव में मधेसी नेताओं का उन के कथनी और करनी का हम समुचित मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। इसी लिये हम सत्ता के दलालों को, नेपाली राज्य सत्ता के घुसपैठिए को भी क्रान्तिकारी मानने का महाभूल कर बैठते हैं। मधेसी मुक्ति अभियान को बहुत ज्यादा नोक्सानी पहुंचाने वाले, सत्ता में समर्पित होने वालों, मुद्दा का विसर्जन करने वालों को भी हम प्रगतिशील मानने की गलती करते रहे हैं। इसलिये यदि अब भी हमने क्रान्तिकारी धार नहीं खींची और क्रान्तिकारी आधार का निर्माण नहीं किया तो हम फिर भूलभुलैया में पड़ेंगे। अतः मधेस की राजनीति में एक स्पष्ट विभाजन रेखा बनानी होगी। मधेस का यथास्थितिवादी पक्ष कौन कौन है ? किस पक्ष ने सत्ता के लिये अपना मुद्दा छोड़ा है ? और मधेस का अग्रगमनकारी-पक्ष कौन-कौन है ? जब मधेसी नेताओं ने घुटने टेके, किस पक्ष ने उसका विरोध किया है ? इस दुसरा पक्ष का समूहकृत रूप ही तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान का धार है। अब के मधेस आन्दोलन का आधार स्तम्भ है। इसका पहचान करना होगा। इसी अभिप्राय से तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान का जन्म हुआ है।

अब हमें नयी सोच, साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। अब मधेस की पुरानी परिभाषा से काम चलने की स्थिति नहीं है। मधेस सिर्फ एक जात या समुदाय के बसोबास का स्थान नहीं है। हम अब यह भी नहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ ‘हम ही मधेस में रहेंगे और पर्वतीय समुदाय के भाईयों का मधेसी भूमी में इसमें स्थान नहीं है। ‘मधेस अन्य समुदाय के लोगों का बसोबास का स्थान नहीं होगा’ ऐसी सोच सही नहीं है। मधेस की सही परिभाषा भी यह नहीं है। हम मधेस को इस रूप में परिभाषित करना चाहते हैं कि आज का मधेस, संघीय नेपाल के एकल जातीय पहिचान का मधेस नहीं होगा। आज के संघीय नेपाल के मधेस में ‘मधेसी समुदाय’ के नाम से हम जिसे पहचानते हैं-सिर्फ इनके बसोबास का मधेस मात्र मधेस नहीं है। मधेस एक सामूहिक बसोबास का स्थान है। अर्थात् मधेस धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों के बसोबास का स्थान भी है। मधेस आदिवासी थारू के आदिकाल से बसोबास का स्थान भी है। इसलिये आज जब हम मधेस की बात करते हैं, हम ऐसे प्रदेश की परिकल्पना जहां राजनीतिक

अग्राधिकार सिर्फ मधेसी समुदाय का हो, जहां मधेसी प्रथम श्रेणी के नागरिक हों और पर्वते समुदाय के भाइयों को दूसरा श्रेणी हो-ऐसे मधेस की परिकल्पना हम नहीं कर रहे हैं ।

ऐसा कहते हुए हम पर्वते समुदाय के भाइयों से एक निवेदन भी करते हैं । आज तक आप राज्य व्यवस्था से विभेद का शिकार नहीं हुए हैं । पर्वते समुदाय भौगोलिक-आर्थिक कारणों से उपेक्षा के शिकार हुए हैं । पर्वते समुदाय के लोगों को भौगोलिक रूप से दूरह और कठिन जीवन भोगने का सयौं वर्ष का दुःखद अतिरिक्त होगा, परन्तु एक सामुदायिक कारण से, रूप-रंग के कारण से पर्वते समुदाय के लोग राज्य विभेद का शिकार नहीं हुए हैं । पर्वते समुदाय राज्य द्वारा उसके भाषा के कारण, उसके वेश भूषा के कारण या उसके पहचान के कारण बहिष्करण में नहीं पड़े है । पर्वते समुदाय से हमारा यही आग्रह है कि, हम इतिहासकाल से ही भोगते आए इस सत्यको, जो हमने हमारे भाषा के नाम में भोगा, हमने हमारे वेशभूषा के नाम पर भोगा, हमारे सामुदायिक पहचान के कारण हम भोगते आए है-यदि पर्वते समुदाय के भाइ बन्धु इस व्यवहार की समाप्ति के लिये हमारे साथ सहकार्य करना चाहें, यदि हम हाथ में हाथ डालकर चलना चाहें तो, देश की समुन्नति और सदभाव का इससे बड़ा उदाहरण भविष्य के नेपाल में और कोई नहीं होगा । तमरा अभियान को अब एक नया विचार, नया संकल्प-जिससे समस्या को बढ़ाना नहीं है, जिससे समाज और देश में विभाजन को बढ़ावा मिले, वल्कि सामञ्जस्यता के आधार में समाधान खोजना है, विचारों को एकाकार करके नये वैचारिक अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प अभियान ने लिया है ।

तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान आज तक नेपाल मे राणा शासन से मुक्ति और प्रजातन्त्र के लिए, संसदीय लोकतन्त्र के लिए, पंचायति व्यवस्था के दौरान राजाओं के तानाशाही से देश को मुक्त कराने के लिए, गणतन्त्र और संघीयता के स्थापना के लिए हुए सभी ऐतिहासिक संघर्षों मे बलिदान देने वाले सम्पूर्ण मधेसी समुदाय के लडाकु योद्धाओं का सपना पुरा करने का अब का संघर्ष का नाम है ।

०० ००

Please
Visit

www.jayprakashgupta.com

www.facebook.com/jayprakash.gupta.735

www.jpuguptablog.wordpress.com

Email: jpananda@gmail.com